

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 110 वीं बैठक दिनांक 27.08.2007 को मध्याह्न 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण, एजेण्डा संख्या 9 से 11 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 8 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा संख्या 2 से 5 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक(मास्टर प्लान) एवं एजेण्डा संख्या- 6 से 8 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 से 7 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 9 से 11 उपायुक्त जोन-12 द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री एन. के. खींचा, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट.), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री देवेन्द्र शर्मा, उपायुक्त जोन-3, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री महेन्द्र सोनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री अंतर सिंह नेहरा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-स्कीम्स) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री हीरा लाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री नारायण शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
15. श्रीमती रिकु बंसल, सहायक नगर नियोजक, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री जी.एस. शर्मा, डी.आर. (कॉ-ऑपरेटिव), जविप्रा, जयपुर।
17. श्री शम्भू दयाल तहसीलदार जोन-7, जविप्रा, जयपुर।



एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा आइटम सं:-1

विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 109 वीं बैठक दिनांक 26.07.2007 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

एजेण्डा आइटम सं.-12 में पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना (सीतानगर-द्वितीय) को सीतानगर- तृतीय पढा जावें शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा आइटम सं.-2 (जोन-07)

विषय:- म्यूचुअल हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लि० की योजना शिव नगर 220 के.वी. एवं 132 के.वी. एच.टी. लाईन से 50 फीट छोडने के पश्चात् क्रोस भूखण्डों पर बिल्डिंग लाईन अंकित हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् पाया गया कि 132 के.वी. एच.टी. लाईन के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 50'-50' सुरक्षित दूरी छोडने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 10, 13, 29 व 31 को न्यूनतम निर्मित क्षेत्र मिल जाता है, इसी प्रकार 220 के.वी. एच टी लाईन से पावर ग्रिड स्टेशन द्वारा जारी किये गये नये प्रावधानों के अनुसार 220 के. वी. एच. टी. लाईन के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 57'6" सुरक्षित दूरी छोडने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 2, 20, व 23 में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र मिल जाता है अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 10, 13, 29, 31, 2, 20, व 23 से क्रोस हटाकर इन भूखण्डों का नियमन कर दिया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-3 (जोन-07)

विषय:- कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कनक विहार के भूखण्ड संख्या 133 से 136 मौके की नापेंनुसार ब्लॉक अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में प्रस्तावित संशोधित भूखण्ड संख्या 135, 136 के स्वामित्व की रिपोर्ट एजेण्डा में अंकित करते हुए, इन भूखण्डों की स्थिति परिवर्तन बाबत् एवं योजना मानचित्र में दर्शाये गये ब्लॉक भूखण्ड संख्या 127 से 133 135, 136 में किन-किन भूखण्डों की साईज में मौके की स्थिति अनुसार अन्तर आ रहा है एवं किन-किन भूखण्डों की लीजडीड जारी कर दी गई है, सम्पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए संशोधित ब्लॉक के एजेण्डा मय मानचित्र अनुमोदन/नियमन हेतु प्रकरण बीपीसी II की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-4 (जोन-12)

विषय:- सेक्टर 48-49 पर प्रस्तुत आपत्ति के लिए सुनवाई बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:-

- (1) बीपीसी II (ले-आउट प्लान) की 108 वीं बैठक दिनांक 22.06.2007 में लिये गये निर्णय को स्थगित रखा जाये।
- (2) सेक्टर प्लान 48-49 में पूर्वी किनारे पर स्थित प्रस्तावित 200' सेक्टर रोड (सिरसी रोड से अजमेर रेल्वे लाईन तक) के संबंध में श्री रिछपाल मिर्घा जी विधायक डेगाना, श्री नन्द किशोर शर्मा, श्री जगदीश नारायण शर्मा द्वारा दी गई आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में श्री नन्द किशोर शर्मा, श्री जगदीश नारायण शर्मा भी उपस्थित हुए व उनके पक्ष को भी सुना गया व समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त संदर्भित रोड(जो सेक्टर 56 के पश्चिम ओर स्थित सडक है) में विसंगतियों को दूर करने हेतु पी टी सर्वे करवाने के पश्चात् मौका निरीक्षण किया जाये एवं



मौके पर संबंधित आपत्तिकर्ताओं को सुनने के पश्चात् प्रश्नगत सेक्टर रोड का एलॉयमेंट सेक्टर 56 के साथ मिलान करते हुए रखा जाये।

(3) श्रीमति मधु आर्य की आपत्ति पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रार्थिनी को आगामी बैठक में आपत्ति पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने के लिए सूचित किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-5 (जोन-7)

विषय:- भूखण्ड संख्या 10 से 15 गुलमोहर लेन को विलोपित करते हुए इन भूखण्डों को भूखण्ड संख्या 1 से 6 गुलमोहर लेन में शामिल करने बाबत।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया व विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि एजेण्डा में यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में किन भूखण्डधारियों कितने कितने क्षेत्रफल में यह भूखण्ड आवंटित हुए उप रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा जिन भूखण्डधारियों का नाम प्रतिस्थापित किया गया है वह किस आधार पर कितने-कितने क्षेत्रफल का किया गया है, क्योंकि प्रार्थियों द्वारा जिन भूखण्डों का नियमन चाहा जा रहा है उनमें भूखण्ड संख्या के साथ-साथ क्षेत्रफल में भी संशोधन पाया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में विस्तृत रूप से पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्पूर्ण तथ्यों सहित एजेण्डा बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-6 (जोन-9)

विषय:- जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 616, 597/1, 612/1, 617/1, कुल कित्ता 5 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि में से 5329.67 वर्ग मीटर हेतु मास्टर विकास योजना 2000 में दर्शित 300' चौड़ी सड़क 200' चौड़ी किये जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि रीको द्वारा उक्त क्षेत्र में जारी किये गये संस्थानिक योजनाओं के मानचित्र में उक्त सड़क की चौड़ाई 200' रखी गई है एवं उनके द्वारा प्रुपत पत्र में भी उक्त सड़क को 200' ही रखने का प्रस्ताव दिया गया है जिसको मध्यनजर रखते हुये उस सड़क को मास्टर विकास योजना में दर्शित 300' के स्थान पर 200' रखने का निर्णय लिया गया। मास्टर विकास योजना में उक्त संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) द्वारा तैयार किये जाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-7 (जोन-9)

विषय:- निजी खातेदार की योजना शिव सागर, झांझर पुरा उर्फ मेडला की 15.45 हैक्टेयर भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजना शिव सागर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा इकजाई रूप में सुविधा क्षेत्र प्रस्तुत करते हुये संशोधित मानचित्र प्रुपत कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-8 (जोन-9)

विषय:- श्री रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्री रामधन के भूखण्ड संख्या 46 व 47 जो सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की अनुमोदित योजना गणेश कॉलोनी में सुविधा में



अंकित किया गया है को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमन कर पट्टा जारी करने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं अभिशंसा के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 46 व 47 को इस शर्त के साथ सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाता है कि मौके पर स्थित 21' चौड़ी सड़क को 30' किया जावे एवं भूखण्डों में सम्मिलित राजकीय भूमि को सड़क चौड़ा करने हेतु समर्पित करवाया जावे। भूखण्डों में शेष बची सरकारी भूमि का योजना की आरक्षित दर ली जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-9 (जोन-8)

विषय:- सेक्टर 51, 52, 53 में 30 मीटर चौड़ी सड़क की स्थिति में परिवर्तन करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि सेक्टर प्लान में दर्शायी 30 मीटर चौड़ी व संशोधित 30 मीटर चौड़ी सड़क एक ही भूमि मालिक की हैं इसलिए 30 मीटर चौड़ी सड़क के प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं.-10 (जोन-11)

विषय:- निजी खातेदार/विकासकर्ता की स्वीकृत आवासीय योजना (गंगाविहार) खसरा नम्बर 2168, 2129, 2207 ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर की पूर्व स्वीकृत योजना को निरस्त कर एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस भूमि पर पूर्व में गंगाविहार आवासीय योजना स्वीकृत है तथा निजी विकासकर्ता ने इस योजना में अन्य व्यक्तियों को कुछ भूखण्ड आवंटित किये हुये हैं। कुछ व्यक्तियों इस योजना में मौके पर मकान/कम्पाउन्ड वाल का निर्माण भी किया हुआ है। कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण से उनके भूखण्ड के पट्टे दिये जाने की मांग भी की जा रही है।

इसलिए समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया कि निजी विकासकर्ता पहले आपस में भूखण्ड धारियों से आपस में विवाद हल करने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं.-11 (जोन-12)

विषय:- भूखण्ड संख्या 34-ए व 34-बी को समिति द्वारा जारी स्थान मानचित्र एवं मौके की स्थिति के अनुसार योजना प्लान में दर्शाये जाने हेतु।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 34-ए कॉर्नर भूखण्ड है किन्तु सेक्टर अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 34-ए कॉर्नर भूखण्ड व दूसरा पास में 34-बी भूखण्ड है। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति के अनुसार कॉर्नर भूखण्ड का 34-ए व इसके पास के भूखण्ड के 34-बी स्वीकृत योजना मानचित्र में किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम संख्या-1 (जोन-7)



विषय:- निजी विकासकर्ता द्वारा ग्राम धाउवास में स्थित खसरा नम्बर 1, 5/1, 5/2, 10, 11, 12 एवं ग्राम कनकपुरा के खसरा नम्बर 31/212 में कुल रकबा 41 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर संशोधित योजना प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि संशोधित योजना मानचित्र में ग्रुप हाउसिंग हेतु छोड़े गये भूखण्डों हेतु ग्रुप हाउसिंग क्षेत्र का 5 प्रतिशत पृथक से सुविधा क्षेत्र छोड़ा जाये। तदनुसार मानचित्र का अनुमोदन किया जाये।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-2 (जोन-10)

विषय:-लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना जगदीशपुरी के नियमन के सम्बन्ध में।

लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना जगदीशपुरी के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

- ❖ योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30'रखा जावे।
- ❖ दुकान संख्या 1 से 29 को गैर अनुमोदित किया जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 1 का नियमन सड़क क्षेत्र में आने वाले निर्माण को हटाने के पश्चात् ही किया जावे।
- ❖ भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबैक लगाने के पश्चात् जिन भूखण्डों में बिल्ट-अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- ❖ खसरा सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ही नियमन किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3 (जोन-9)

विषय:-जविप्रा के सेक्टर 37 में 300' की सड़क से प्रस्तावित एकल पट्टे की ग्रुप हाउसिंग योजना (खसरा नं. 380 से 385, 516/3685, 517/3684 व 538 से 547 ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर) में प्रस्तावित 80' सड़क को सेक्टर प्लान में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4 (जोन-10)

विषय:-ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 145 व 147 मि., 155, 156, 165 से 169, 174, 175, 177, 182, 146/745, 146/750 में महिमा शिक्षा समिति को आवंटित भूमि के मापदंडों में शिथिलता प्रदान करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू-भाग के बी व सी पार्ट के सामने का सैटबैक 18 मीटर के स्थान पर 15 मीटर रखा जावे जिससे प्रस्तावित भू-भाग में पर्याप्त निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित ए से जी भू-भाग के मध्य से गुजर रहे नाले के कारण भूमि दो भागों में विभक्त होती है अतः नाले के दोनों ओर 3 मीटर का सैटबैक रखा जावे शेष अन्य समस्त पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार रखे जावे। भूमि में प्रस्तावित एच भाग जो कि 160' रोड के कारण एक अलग ही भूखण्ड 647.47 वर्ग मीटर का है, जिसके सैटबैक भवन विनियम



2000 अनुसार सडक की ओर 7.5 मीटर व शेष सभी ओर 3 मीटर देय होंगे। इसके अतिरिक्त शेष अन्य सभी पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 अनुसार देय होंगे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-5 (जोन-9)

विषय:-ग्राम टोड़ीरमजानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं.-232 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 233 रकबा 1.54 हैक्टेयर, 230/211 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल 1.62 हैक्टेयर पर महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जैन कोलोनी को अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक है, अतः राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने तक प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-6 (जोन-10)

विषय:- शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मी नगर-ए के अनुमोदन के संबंध में।

शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना लक्ष्मी नगर-ए के अनुमोदन के संबंध में विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

- ❖ सेक्टर 34 में अंकित 40' सैक्टर रोड योजना सीमा से लगती हुई निकलती है जिसके कारण योजना का कोई भूखण्ड प्रभावित नहीं होती है किन्तु 60' चौड़ी सेक्टर रोड से पूर्ण रूप से प्रभावित भूखण्ड संख्या 26, 28, 121, 122 व 126 से 131 को गैर अनुमोदित किया जावे।
- ❖ खसरा सीमा के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र का ही नियमन किया जावे एवं जिन भूखण्डों खसरा सीमा लगाने के पश्चात् बिल्ट-अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- ❖ योजना की सभी आंतरिक सडकों को 30' रखा जावे।
- ❖ भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबैक लगाने के पश्चात् जिन भूखण्डों में बिल्ट-अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- ❖ 11 के०वी० एच.टी. लाईन के दोनों ओर नियमानुसार 15' भूमि का नियमन नहीं किया जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 26, 28, 29, 80 से 83, 122 व 123 नाले के समीप स्थित है अतः इनका नियमन अभियांत्रिकी शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
- ❖ मौके पर भूखण्ड संख्या 80, 81, 82 व 83 की स्थिति प्रस्तुत मानचित्र से भिन्न है अतः इनका नियमन इन भूखण्डधारियों को आवंटित पट्टे एवं मौके की स्थिति अनुसार विस्तृत जाँच के पश्चात् ही किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उन भूखण्डों का व्यावसायिक गतिविधियां हटाने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-7 (जोन-4)



विषय:- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विष्णुपुरी के भूखण्ड संख्या 74 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं अभिशंसा के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या-74 को इस शर्त के साथ सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाता है कि मौके पर स्थित 100' चौड़ी सड़क को 100' ही रखा जाकर तगी इसी रो में स्थिति भूखण्ड संख्या 75 से 77 की पूर्व में जारी लीजडीड को ध्यान में रखते हुए आवेदित भूखण्ड को नियमन किया जावे। इसके अतिरिक्त भूखण्ड संख्या 72, 73 व भूखण्ड संख्या 65, 66, 67 जो सुविधा क्षेत्र में दर्शित है उस पर जविप्रा द्वारा कम्पाउन्डवाल का निर्माण करवाया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-8 (जोन-6)

विषय:-निजी खातेदार/विकासकर्ता मैसर्स सिद्धा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम फेज की आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि स्टेट लेवल कमेटी में 100'-00" चौड़ी सड़क को सीधी रखे जाने की शर्त पर भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार योजना में स्टेट लेवल समिति की शर्तों के अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या- 9 (जोन-12)

विषय:- श्री गणपति गृ.नि. सहकारी समिति की योजना गणेश विहार ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में एल.टी लाईन व एच.टी. लाईन गुजर रही है इसलिए इन लाईनों के नीचे के भूखण्डों का नियमन एल.टी.लाईन व एच.टी. लाईन हटने के पश्चात् किया जावे।
2. भूखण्ड संख्या 46 के उत्तर-पूर्व सड़क 40'-00" चौड़ी नहीं मिल रही है। इसलिए 40'-00" सड़क में कर्व दिया जाकर 40'-00" सड़क की जाकर नियमन किया जावे।
3. योजना में भूखण्ड संख्या 33 में सेटबैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र नहीं मिल रहा है इसलिए भूखण्ड संख्या-33 को अस्वीकृत किया जावे।
4. योजना में 10 प्रतिशत से अधिक निर्मित भूखण्ड हैं इसलिए 68.33 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र अनुमोदित किया जावे।
5. भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-10 (जोन-12)

विषय:- लक्ष्मी नगर गृ.नि.सहकारी समिति की योजना गायत्री विहार हीरावाला तहसील बस्सी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।




1. योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60.16 प्रतिशत स्वीकृत किया जावे।
2. औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
3. योजना 37.87 वर्ग गज भूमि अधिक है इसलिए सामान्य दर से इस भूमि की नियमानुसार राशि ली जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-11 (जोन-12)

विषय:-भैरव गृ.नि.स. समिति की आवासीय योजना श्री रामनगर-ए ग्राम निवारू के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

जोनल लेवल कमेटी (जोन-12) की बैठक दिनांक 25.08.2007 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष सम्बन्धित उपायुक्त/सम्बन्धित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना को निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया:-

1. योजना में एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18 प्रभावित हैं, इनका नियमन एल.टी. लाईन हटने के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. योजना 60:40 के अनुपात में होने के कारण अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।


579/07


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2007/डी-452

दिनांक :- 05/9/07

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


579/07

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर